

परविहन और वपिणन सहायता योजना

प्रलिस के लयि :

परविहन और वपिणन सहायता योजना, एपीडा, कृषनरररररर नीतर 2018, कससन कनेकट एप

मेन्स के लयि :

परविहन और वपिणन सहायता योजना का संकषपतर पररररर एवं संशोधतर वरररररररर

रररर में क्यरं?

हलर ही में वरणरररर और उदरररर मंतरलय ने नरररररर कृषर उतररररर के लयि परविहन और वपिणन सहायता (TMA) योजनर को संशोधतर कयि है ।

- यह 1 अपरैल, 2021 यर उसके बलर 31 मरर, 2022 तक परररर रहेगी ।

परमुख बलर

• परररर:

- इसे वरर 2019 में यूररर और उतरररी अमेरकर के कृष देशरं में वसतुओं के नररररर को बढलर देने के लयि कृषर उतररररर के परविहन एवं वपिणन हेतु वतरररर सहायतर परररन करने के उददेश्य से लरनर कयि गयर थर ।
 - सरकर ने वरर 2018 में एक कृषर नररररर नीतर को मंरुरी दी जसकर उददेश्य वरर 2022 तक शपरमेंट को दलगुनर करके 60 बलरररर अमेरकरी डरलर तक पहुँरने है ।
 - APEDA (कृषर और परसंसकृत खलर उतरररर नररररर वकरस पररधकररण) भरररी कृषर एवं खलर उतररररर की नररररर कषमतर के वसरतर की दशिर में करम करतर है ।
- TMA के तहत सरकर भलर शुक के एक नरररररर हसरसे की परतपरूररर करती है और कृषर उतरररर के वपिणन के लयि सहायतर परररन करती है ।
 - समय-समय पर नरररररर अनुमत देशरं को पररर कृषर उतररररर के नररररर के लयि अधसररररर दररं पर सहायतर उपलबध होगी ।
- संशोधतर योजनर में अनरर कृषर उतररररर के सलथ डेररी उतररररर को भी इसके दलररे में शलमलर कयि गयर है और सहायतर की दररं में वृदधकी गई है ।
 - सहायतर की दररं में समुदर दवलर नररररर के लयि 50% और हवलर मररग हेतु 100% की वृदधकी गई है ।
- TMA की परतपरूररर डीजीएफटी (वलरश वयरपर महलनदशललय) के कषेतररीय अधकररररररर के मलधयम से की जरणी ।

• उददेश्य:

- कृषर उतरररर की मलर दुलरई और वपिणन के अंतररररररीय घटक के लयि सहायतर परररन करनर ।
- टरररर-शपरमेंट के कररण नरररररर कृषर उतररररर के नररररर के परविहन की उररर ललगत को कम करनर ।
- नरररररर वदरशी बलररररं में भरररीय कृषर उतररररर के लयि बररंड परहकलन को बढलर देने ।

- कृषि निर्यात नीति का दृष्टिकोण भारत को कृषि में वैश्विक महाशक्ति बनाने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिये उपयुक्त नीतितम माध्यमों के ज़रूरी भारतीय कृषि निर्यात क्षमता का दोहन करना है।
- नीति को इस उद्देश्य के साथ अनुमोदित किया गया था,
 - **निर्यात टोकरी (Export Basket)** में विविधता लाकर, पहुँच और उच्च मूल्य एवं मूल्य वर्द्धति कृषि निर्यात को बढ़ावा देना जिसमें खराब होने वाली वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।
 - नवीन, स्वदेशी, जैविक, नृजातीय, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
 - **बाज़ार तक पहुँच को बढ़ावा देना**, बाधाओं तथा स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी मुद्दों से निपटने के लिये एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना।
 - **किसानों को विदेशी बाज़ार में निर्यात के अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना।**

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) एक गैर-व्यापारिक, वैधानिक निकाय है जिसने भारत की संसद द्वारा **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम** के तहत दिसंबर 1985 में पारित किया गया था।
- यह **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है। प्राधिकरण का मुख्यालय **नई दिल्ली** में है।
- इसे **निर्यात प्रोत्साहन और अनुसूचित उत्पादों** जैसे- फल, सब्जियाँ, मांस उत्पाद, डेयरी उत्पाद, मादक और गैर-मादक पेय आदि के विकास की ज़िम्मेदारी के साथ अनिवार्य किया गया है।
- इसे **चीनी के आयात की नगिरानी करने की ज़िम्मेदारी** भी सौंपी गई है।
- वर्ष 2017 में APEDA ने एक मोबाइल एप- "**किसान कनेक्ट (Farmer Connect)**" लॉन्च किया जिसका उद्देश्य किसानों को उनके खेत के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिये ऑन-लाइन प्रक्रिया लागू करना तथा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अनुमोदन और अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा लैब नमूनाकरण पर नज़र रखना है।

स्रोत: पीआईबी

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/transport-and-marketing-assistance-scheme>

